भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2435

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>परस्पर लाभकारी निधियों के लिए विनियामक प्राधिकरण</u>

2435. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में परस्पर लाभकारी निधियों (म्युच्युअल बेनेफिट फंड्स) का विनियामक और पंजीकरण प्राधिकारी कौन है;

(ख) क्या एक्स-सर्विसमैन म्युच्युअल बेनेफिट फंड, 152, शिवनाथ शास्त्री रोड, पी.ओ. हरिनवी, साऊथ 24 परगना, कोलकाता-700148 सम्यक रूप से पंजीकृत निकाय है;

(ग) यदि हां, तो उक्त म्यूच्युअल फंड की प्रोफाइल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस फंड के हितार्थियों और लाभान्वितों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है और इस फंड के प्रोमोटरों के विरूद्ध क्या कार्रवाई शुरू की जा रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): 'निधि कंपनियां', म्यूच्युअल बेनेफिट सोसाइटी/फंड के नाम से भी जानी जाती है जो निधि नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 के अधीन विनियमित होती हैं। ये कंपनियां उन कंपनी रजिस्ट्रारों में पंजीकृत होती हैं जिनके कार्यक्षेत्र में उऩका पंजीकृत कार्यालय स्थित हो।

(ख): कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अधीन एक्स-सर्विसमैन म्यूच्युअल बेनेफिट फंड के नाम से कोलकाता में कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है, न हीं सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन इस नाम से कोई एलएलपी पंजीकृत है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर इसका प्रश्न नहीं उठता।

*****